बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

आ0सं0– निग / सारा–1 (पथ)–आरोप–57 / 2018 (खंड)– पटना, दिनांक 18/3/25

कार्यालय आदेश – 50

श्री ब्रह्मानन्द पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, कोचस सम्प्रति कनीय अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गया के पथ प्रमंडल कोचस पदस्थापन अवधि में OPRMC (Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) के अंतर्गत पैकेज संख्या–61 में सासाराम–चौसा राज्य उच्च पथ के दीर्घकालीन पथ संधारण में पायी गयी गंभीर अनियमितता के लिए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–306–सहपठित ज्ञापांक–8723 (ई०), दिनांक 20.12.2018 के द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–02–सहपठित ज्ञापांक–37 (ई०) दिनांक 02.01.2019 के द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–83–सहपठित ज्ञापांक–3584 (ई०), दिनांक 16.06.2021 के द्वारा श्री पासवान के निलंबन को समाप्त किया गया। उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप के बिन्दु निम्नलिखित है :–

(i) कि0मी0 0.00 से कि0मी0 22.00 के निरीक्षण में तीसरे कि0मी0 में Patch Repair का कार्य कराया जा रहा था। इसी पथांश में 300 मी0 में पूर्व में ही PCC कार्य कराया गया था। स्थल पर मौजूद संबंधित पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि बिटुमिनस कार्य द्वारा पथ परत को सुगम कराया गया था, परंतु बगल में नाला एवं बसावट होने के कारण पानी सड़क पर आ जाता है, जिसके संबंध में कनीय अभियंता के स्तर पर कोई निरोधात्मक उपाय नहीं किये गये। फलतः प्रासंगिक पथ क्षतिग्रस्त हो गया।

(ii) Pot Patch की मरम्मति करायी गयी है जिसकी गुणवत्ता अत्यंत ही कमजोर है।

(iii) कि0मी0 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के Riding Surface में कई स्थानों पर Pots पाये गये है। उक्त पथ का संधारण OPRMC पैकेज (वर्ष 2014 से फरवरी, 2019) के तहत कराया जा रहा है एवं OPRMC Contract की विहित शर्त्तों के अनुरूप पथ की Riding Quality 3500 mm तक रखने की है, परंतु इस पथ की Riding Quality भी पूर्णरूपेण असंतोषजनक पायी गयी जिसके कारण पथ के रख–रखाव की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गयी।

(iv) दो माह पूर्व तक OM (Ordinary Maintainance) घटक के अंतर्गत संवेदक को भुगतान होते रहे है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि पथ का बिना रख–रखाव सुनिश्चित कराये संवेदक को भुगतान किया जाता रहा, जो सरकारी राशि का दुरूपयोग एवं संवेदक के साथ मिलीभगत की पुष्टि करता है। इसके लिए श्री पासवान दोषी प्रतीत होते है।

(v) कनीय अभियंता का यह दायित्व है कि उनके द्वारा पथों का निरीक्षण माह में कम से कम चार बार अवश्य की जाय एवं तदोपरांत यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसका Rectification का कार्य responce time में ही संवेदक के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाना अपेक्षित होता है, जिसकी आलोच्य मामले में पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई। इस प्रकार श्री पासवान के द्वारा अपने पद पर रहते हुए वांछित कार्रवाई सुनिश्चित नहीं कर विहित पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई।

2. श्री पासवान के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–412 अनु० दिनांक 11.02.2020 से प्राप्त हुआ, जिसमें संचालन पदाधिकारी के द्वारा उक्त सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति का बिन्दु सृजित करते हुए विभागीय पत्रांक–7459 (ई०), दिनांक 22.10.2020 के द्वारा श्री पासवान से

कृ०पृ०उ०

लिखित अभिकथन के रूप में अभ्यावेदन की मांग की गई। श्री पासवान ने पत्रांक–शून्य, अनु०, दिनांक 18.12.2020 के द्वारा अपना द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा बचाव के निम्नलिखित मुख्य बिन्दु दिये गये :–

(i) आरोप संख्या–1 के संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति के बिन्दु के संदर्भ में श्री पासवान ने मुख्य रूप से अंकित किया है कि इस पथ के क्षतिग्रस्त होने के कारण मात्र घनी बसावट एवं स्थल पर पानी निकासी ही नहीं है बल्कि पथांश का PCC परत काफी पुराना (13 वर्ष) होने एवं आरा–मोहनियाँ पथ के जर्जर होने के कारण वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस पथ पर बालू लदे अत्यधिक भारी वाहनों का परिचालन भी है। पुराने जीर्ण–शीर्ण PCC पथांश का समाधान OPRMC के प्रावधानित राशि से कतई संभव नहीं था बल्कि स्थायी मरम्मति ही एकमात्र समाधान था। इसके लिए कार्य का आकलन कर Provisional Sum के अन्तर्गत मुख्यालय से राशि की भी मांग की गयी। पथ के बृहद स्थायी मरम्मति /मजबूतीकरण हेतु निदेशानुसार DPR तैयार कर अधीक्षण अभियंता को समर्पित किया गया। उन्होंने अंकित किया है कि जिस समय उन्हें निलंबित किया गया था उक्त DPR संबंधित मुख्य अभियंता से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मुख्यालय स्तर पर भी प्रक्रियाधीन थी। उन्होंने पथांश के स्थायी मरम्मति हेतु घटना के तिथि से पूर्व ही हर संभव प्रयास किया।

(ii) आरोप संख्या–2 के संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति के बिन्दु के संदर्भ में श्री पासवान ने मुख्य रूप से अंकित किया है कि Patch work एक बिटुमिनस कार्य है, ऐसे स्थिति में IRC के निदेशानुसार Patch work से नमूना संग्रह कर इसकी तकनीकी जाँच किया जाना आवश्यक है, परन्तु विभाग द्वारा इसकी तकनीकी जाँच कराये बगैर आधारहीन तथ्यों के आधार पर खराब गुणवत्ता का आरोप लगाया गया है। उन्होंने विभिन्न परिस्थितिजन्य बाधाओं का उल्लेख करते हुए अंकित किया है कि पथ को Service Level तक बनाये रखने हेतु उन्होंने पथ में बार–बार Patch work कराया।

(iii) आरोप संख्या–3 के संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति के बिन्दु के संदर्भ में श्री पासवान ने मुख्य रूप से अंकित किया है कि पथ के IRI (Internation Roughness Index) जाँच कराये बगैर ही आरोप पत्र गठित किया गया है, जिसमें Riding Quality के संबंध में आरोप प्रमाण/तकनीकी साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

(iv) आरोप संख्या–4 के संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति के बिन्दु के संदर्भ में श्री पासवान ने मुख्य रूप से अंकित किया है कि OPRMC प्रावधानों के तहत irregular rough surface/Patches का संधारण उनके द्वारा ससमय Response time के अन्दर संवेदक के माध्यम से कराया जाता रहा है और इसी आधार पर OM मद में संवेदक को भुगतान किया जाता रहा है। विदित हो कि आलोच्य पथ का संधारण OPRMC के Package No-61 के तहत किया जा रहा था, जिसमें कुल 09 (नौ) पथ थे। उक्त सभी पथों का OM मद का मासिक भुगतान समेकित रूप से किये जाने का प्रावधान है। किसी विशेष परिस्थिति में OM मद के अन्तर्गत कुल 27 (सताईस) तरह के त्रुटियों का response time में compliance नहीं किये जाने की स्थिति में weightage के आधार पर कटौती कर शेष पथांशों का भुगतान

किये जाने का प्रावधान है। भुगतान किये जाने का मतलब यह नहीं है कि जिस पथ में सुधार कर दिया गया है उसमें भुगतान कर देने के बाद irregular rough surface उत्पन्न नहीं हो सकता है।

(v) आरोप संख्या–5 के संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति के बिन्दु के संदर्भ में श्री पासवान ने मुख्य रूप से अंकित किया है कि उनके द्वारा अपने क्षेत्राधीन पथों का माह में कम से कम 04 (चार) बार या कभी–कभी इससे भी अधिक बार निरीक्षण किया जाता था। समान्यतः वरीय अभियंताओं/पदाधिकारियों के द्वारा पथों के निरीक्षण के पश्चात अपने नीचले/कनीय अभियंताओं एवं पदाधिकारियों को कतिपय दिशा निदेश लिखित रूप से दिया जाता है, जो उनके निरीक्षण किये जाने संबंधी अभिलेखीय साक्ष्य बन जाते है परन्तु वे नीचले स्तर से अभियंता के रूप में कनीय अभियंता है, इसलिए उनके साथ न तो स्थिति बनती है और न ही अभिलेखीय साक्ष्य बन पाते है। OPRMC के निदेशों के अनुरूप उनके द्वारा सप्ताह में एक बार निरीक्षण कर weekly inspection report OPRMC Cell में भेजी जाती थी।

3. संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध गठित सभी पाँचों आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने के निष्कर्ष के संदर्भ में असहमति के सृजित बिन्दुओं के संबंध में श्री पासवान से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर की विभागीय समीक्षा की गयी। पथ के कि०मी० 0.00 से 22.00 तक नाला एवं बसावट होने के फलस्वरूप सड़क पर पानी आ जाने के कारण पथ क्षतिग्रस्त होता रहा, हाँलांकि इन्होंने कहा है कि बिटुमिनस कार्य द्वारा पथ परत को सुगम कराया गया था। यह स्थिति बारम्बार होती रही, परन्तु उत्पन्न समस्या से भलि–भाँति अवगत रहते हुए भी कनीय अभियंता के रूप में श्री पासवान द्वारा इसके स्थायी समाधान का कोई प्रयास नहीं किया गया।

4. उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि श्री पासवान द्वारा विषयांकित पथ के जीर्ण–शीर्ण अवस्था को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। जिस पथ की मरम्मति करायी गयी उसकी गुणवत्ता अत्यन्त ही खराब पायी गयी तथा कार्य विशिष्टता के अनुरूप नहीं थे। इस पथ में जगह–जगह Patch work पाया गया तथा कई जगह Service Level तक Crack भी नजर आया। नियमानुसार बिटुमिनस कार्य द्वारा Patch work से पथ निर्माण को सुगम कराया जाना था, लेकिन आरोपित द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। इसके समर्थन में Videography Report के अनुसार 15 जगहों पर पथ में Pots पाये गये। पथ का बिना रख–रखाव सुनिश्चित करायें संवेदक को OM (Ordinary Maintenance) मद में भुगतान किया जाता रहा, जो सरकारी राशि का दुरूपयोग एवं आरोपित का संवेदक से मिली–भगत को दर्शाता है।

5. श्री पासवान द्वारा यह कहा जाना कि इनके द्वारा उनके क्षेत्राधीन पथों का नियमानुसार निरीक्षण किया गया एवं कई बार निर्धारित दायित्व से अधिक भी निरीक्षण किया गया। इसके समर्थन में इन्होंने साक्ष्य नहीं देते हुए उल्लेख किया है कि कनीय अभियंता के रूप में सबसे निचले स्तर के अभियंता होने के कारण उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने की बाध्यता नहीं है। उल्लेखनीय है कि यदि श्री पासवान के द्वारा पथों का निरीक्षण किया जाता तो निरीक्षण में दृष्टिगोचर होने वाले OM मद के अन्तर्गत त्रुटियों के सुधार की दिशा में कार्रवाई की जाती। स्पष्ट है कि समुचित पर्यवेक्षण के अभाव में पथ की गुणवत्ता प्रभावित हुई। नोडल पदाधिकारी OPRMC द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन एवं उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन के अनुसार कई जगह

कृ०पृ०उ०

पथ में Pots एव Cracks पाया जाना स्पष्ट करता है कि पथों की मरम्मति विशिष्टता के अनुरूप नहीं की गयी है। यह स्पष्ट करता है कि श्री पासवान OPRMC के तहत पथों के संधारण में संविदा प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहे। फलतः आलोच्य पथ की स्थिति खराब हुई। इससे स्पष्ट होता है कि श्री पासवान के द्वारा अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में चूक बरती गयी, जिसके कारण सरकारी राशि का दुरूपयोग हुआ है।

6. सम्यक समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–08–सहपठित ज्ञापांक–200 (ई०) दिनांक 17.01.2022 के द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005, यथा सशोंधित नियमावली 2007 के नियम 14 (vi) के तहत निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया गया :–

(क) **संचयी प्रभाव से 05 (पॉच) वेतन वृद्धि पर रोक।**

7. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री पासवान ने पत्र दिनांक 17.02.2022 के द्वारा अपना अपील अभ्योवदन समर्पित किया, जिसमें अपने बचाव में उन्होंने मुख्य रूप से अंकित किया है कि– उनके द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर की समीक्षा विभाग द्वारा आरोपवार नहीं किया गया है तथा समेकित Vague समीक्षा करते हुए उनके विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित कर दण्ड संसूचित किया गया है, जो सही नहीं है। आलोच्य पथ की खराब Riding Quality, पथ में Pots एवं Patches पाये जाने तथा पथ के निरीक्षण के आरोप के संबंध में श्री पासवान के द्वारा तथ्यों का संदर्भ देते हुए उल्लेख किया गया है कि पथ की स्थिति दैयनीय नहीं थी। साथ ही श्री पासवान द्वारा अपील अभ्यावेदन पर निर्णय लिये जाने से पूर्व व्यक्तिगत सुनवाई का भी अनुरोध किया गया है।

8. उपर्युक्त अनुरोध के आलोक में दिनांक 03.11.2022 को अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के समक्ष श्री पासवान की व्यक्तिगत सुनवाई की गयी। श्री पासवान के द्वारा उक्त अपील अभ्यावेदन में अथवा व्यक्तिगत सुनवाई में उनके द्वारा पूर्व में समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर के अतिरिक्त कोई नया तथ्य एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, लेकिन मामले की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री पासवान के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड प्रमाणित पाये गये आरोपों के समानुपातिक नहीं है। उनके विरूद्ध अधिरोपित दण्ड प्रमाणित आरोपों की तुलना में excessive पाया गया।

अतः सम्यक समीक्षोपरांत कनीय अभियंता के मामले में सक्षम अपीलीय प्राधिकार अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के स्तर से श्री ब्रह्मानन्द पासवान के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (vi) के तहत कार्यालय आदेश संख्या–08–सहपठित ज्ञापांक–200 (ई०), दिनांक 17.01.2022 के द्वारा संसूचित "संचयी प्रभाव से 05 (पाँच) वेतन वृद्धि पर रोक" के दण्ड को विभागीय आदेश ज्ञापांक–5422 (एस) दिनांक 04.11.2024 द्वारा निम्नरूपेण पुनरीक्षित किया गया :–

(क) संचयी प्रभाव से 01 (एक) वेतन वृद्धि पर रोक।

9. उपर्युक्त पुनरीक्षण आदेश पारित हो जाने के पश्चात आलोच्य मामले में ही आरोपी कार्यपालक अभियंता श्री सुनील कुमार सुमन के विरूद्ध संसूचित दण्ड के संदर्भ में उनसे प्राप्त पुनर्विचार अभ्यावेदन पर

कार्रवाई करते हुए उनके मामले में अनुशानिक/पुनर्विचार हेतु सक्षम प्राधिकार के द्वारा मामले की पुनः समीक्षा किये जाने के क्रम में पाया कि कनीय अभियंता के दायित्वों के समानुपातिक पुनरीक्षित दण्ड यथोचित नहीं है। अतः सम्यक विभागीय समीक्षोपरांत श्री ब्रह्मानन्द पासवान, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, कोचस सम्प्रति कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गया के विरूद्ध पुनरीक्षित दण्ड को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :–

(क) संचयी प्रभाव से 03 (तीन) वेतन वृद्धि पर रोक।

ह०/–
अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–57/2018 (खंड)– /पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–03), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कोचस/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गया/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2/3/6/13/14, एवं रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री ब्रह्मानन्द पासवान, कनीय अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गया** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह०/–
अवर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–57/2018(खंड)– 2389 **पटना, दिनांक** 18/3/25

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

18/3/25
अवर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

18.03.25